

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2024/ 202

रीवा दिनांक : 20-4-2024

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
रीवा कालेज आफ एजुकेशन
रतहरा, रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2023-2024 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 12-04-2024 के आइटम क्रमांक 3(22) की अनुशांसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2023-2024 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -


क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एड. पाठ्यक्रम - समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।

नोट -

- कालेज कोड 28 एवं एन.सी.टी.ई. के नियमों के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शेष शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पुस्तकालय को व्यवस्थित करें एवं सभी संचालित कक्षा/विषयों की स्तरीय प्रकाशन की 10-10 नई पुस्तकें संधारित करें।


उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर आवश्यक रूप से पूर्ण कर 100=00 रुपये के स्टाम्प पर शपथपत्र दिया जाय कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2024-2025 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

- परीक्षा नियंत्रक, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- सहायक कुलसचिव-परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।


सहायक कुलसचिव (विकास)